## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

## मांग संख्या 50

## एड्स नियंत्रण विभाग

क. वसूलियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

			वास्तविक 2013-2014			<b>ब</b> जट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016		
		म्ख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	-	राजस्व	1472.97		1472.97	1702.00		1702.00	1300.00		1300.00	1347.00		1347.00
		पूंजी	0.18		0.18	83.00		83.00				50.00		50.00
		जोड़	1473.15		1473.15	1785.00		1785.00	1300.00		1300.00	1397.00		1397.00
1. ₹	प्तचिवालय सामाजिक सेवाएं	2251	12.20		12.20	16.49	•••	16.49	16.49		16.49	18.75		18.75
2.	स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान, निर्देश और प्रः	शासन												
	2.01 स्वायत्तशासी निकायों आदि को	2210	693.77		693.77	1.00	•••	1.00	0.25		0.25	1.00		1.00
	अनुदान 2.02    निर्देश और प्रशासन	2210				12.00		12.00	3.53		3.53	4.24		4.24
;	जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान, निर्देश ः	और प्रशासन	693.77		693.77	13.00		13.00	3.78		<i>3.78</i>	5.24		5.24
3. ₹	पूचना, शिक्षा और संप्रेषण	2210	48.87		48.87	51.00		51.00	31.00		31.00	42.00		42.00
4.	खरीद													
	4.01 उपकरण	2210												
	4.02 औषधि, किट्स और उपभोक्ता वस्तुएं	2210	149.08		149.08	452.00		452.00	157.50		157.50	500.00		500.00
	4.03 सेवाएं	2210	428.95		428.95	30.00	•••	30.00	31.55		31.55	44.30		44.30
į	जोड़- खरीद		578.03		578.03	482.00	•••	482.00	189.05		189.05	544.30	•••	544.30
5. ₹	राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद	2210				1.00	•••	1.00	1.00		1.00	1.00		1.00
6. <sup>- 5</sup>	कंडोमों की आपूर्ति	2210	140.10		140.10	152.00	•••	152.00	120.75		120.75	106.00		106.00
	रक्त एवं रक्त उत्पादों हेतु कार्यक्रम	2210					•••							
	मेट्रो रक्त बैंकों की स्थापना हेतु पूंजीगत परिव्यय	4210	0.18		0.18	83.00	•••	83.00				50.00		50.00
٥.	अंतर्राष्टीय निकायों के लिए अंशदान	2210			***	0.01		0.01	0.01		0.01	0.01		0.01
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं													
	10.01 राज्य एड्स नियंत्रण समाजों की सहायता अनुदान	2552	•••		•••									
	10.02 सूचना, शिक्षा और संचार	2552				12.50	•••	12.50				10.00		10.00
	10.03 सरकारी खरीद	2552				23.00	•••	23.00	10.04		10.04	64.70		64.70
	10.04 कंडोमों की आपूर्ति	2552				23.00		23.00	1.04		1.04	15.00		15.00
	जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं					58.50		58.50	11.08		11.08	89.70		89.70
राज्य और स	ांघ राज्य क्षेत्र योजना													

	1							(करा,ड रुपए						
		वास्तविक 2013-2014			<b>ब</b> जट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			<b>ब</b> जट 2015-2016			
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
11. राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम														
11.01 राज्य योजना	3601				772.00		772.00	771.97		771.97	450.00	•••	450.00	
11.02   संघ राज्य क्षेत्र योजना	3602				36.00		36.00	35.95		35.95	40.00	•••	40.00	
11.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम	2552				120.00		120.00	118.92		118.92	50.00		50.00	
जोड़- राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	7				928.00		928.00	926.84		926.84	540.00		540.00	
कुल जोड़		1473.15		1473.15	1785.00		1785.00	1300.00		1300.00	1397.00		1397.00	
		बजट			बजट			बजट			बजट			
	विकास शीर्ष	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
		-												
ग. योजना परिव्यय														
केन्द्रीय योजना:														
1.    सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	12.20		12.20	16.49		16.49	16.49		16.49	18.75		18.75	
2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1460.95	···	1460.95	782.01		782.01	345.59		345.59	748.55		748.55	
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552		···		58.50		58.50	11.08		11.08	89.70		89.70	
जोड़ - केन्द्रीय योजना		1473.15	<b></b>	1473.15	857.00		857.00	373.16	•••	373.16	857.00	•••	857.00	
राज्य योजना:														
1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	43601		•••		892.00		892.00	890.89		890.89	500.00	•••	500.00	
जोड़ - राज्य योजना			•••		892.00		892.00	890.89		890.89	500.00		500.00	
संघ राज्य क्षेत्र योजना :														
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)														
1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	43602				36.00		36.00	35.95		35.95	40.00		40.00	
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना					36.00		36.00	35.95	•••	35.95	40.00		40.00	
जोड़		1473.15		1473.15	1785.00	•••	1785.00	1300.00		1300.00	1397.00		1397.00	

- 1. **सचिवालय सामाजिक सेवाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
- 2. **स्वायत्त निकाय आदि एवं निदेशन और प्रशासन:** स्वायत्त निकाय आदि को अनुदान और विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र के निदेशन और प्रशासन व्यय हेतु प्रावधान है।
- 3. **सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण:** सुरक्षित तौर-तरीके अपनाने, सेवाओं के लिए मांग सृजित करने, कलंक और भेदभाव कम करने और अनुकूल एवं सशक्त माहौल बनाने के लिए जागरूकता पैदा करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना।

- 4. **खरीद:** यह प्रावधान औषधों, किटों, उपभोज्यों और उपकरण की खरीद के लिए है।
- 5. **राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद:** यह प्रावधान स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद को अनुदान देने के लिए है।
- 6. **कंडोंमों की आपूर्ति:** यह प्रावधान निःशुल्क आपूर्ति एवं कंडोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम के लिए कंडोंमों की खरीद तथा इसके लिए प्रचार अभियानों हेतु है।

- 8. **मेट्रो रक्त बैंकों की स्थापना हेतु पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान 4 मेट्रो रक्त बैंकों की चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थापना और प्लाज्मा फ्रेक्शनेशन केन्द्र हेतु है।
- 9. अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान: यह प्रावधान एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से निपटने के लिए वैश्विक निधि में भारत सरकार के अंशदान के लिए है।
- 10. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं:** योजना आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं/परियोजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान निर्धारित किया गया है।
- 11. **राष्ट्रीय एडस एवं स टी डी नियंत्रण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय एडस एवं स टी डी नियंत्रण कार्यक्रम की कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/नगर निगम एडस नियंत्रण सोसायिटयों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इनमें (I) उच्च जोखिम वाले वर्गों और ब्रिज आबादी में लक्षित हस्तक्षेप; (II) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा व संप्रेषण कार्यकलाप (III) यौन संचरित संक्रमण का उपचार, (IV) रक्त सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन (V) माता-पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम सहित एकीकृत परामर्श एवं जांच सुविधाओं का प्रावधान, (VI) लिंक कार्यकर्ता योजना के जरिए ग्रामीण आउटिरच सहित (क) निवारण, (ख) एच आई वी/एइस से ग्रिसत लोगों के लिए परिचर्या, सहायता और उपचार प्रदान करने संबंधी कार्यकलाप, (ग) क्षमता निर्माण, और (घ) कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन शामिल हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को कर संसाधनों के अधिक अंतरण को देखते हुए केन्द्रः राज्य नियमन पैटर्न का आशोधन किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में राजस्व व्यय का वहन राज्यों द्वारा किया जाता है। परिवर्तित निधियन पैटर्न के बादज कार्यक्रम पर समग्र व्यय कम नहीं होगा।